समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर)
आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग ,बिहार पटना के पत्र संख्याः-न0नि0 50-32/2016 -6249, दिनांकः-17.08.2016 के द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन ,2017- गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को विहित प्रपत्र-6 में मांग की गई थी, जिसके क्रम में तीनों नगरपालिकाओं से वर्ष 2011 की जनसंख्या को विहित प्रपत्र-6 में प्राप्त कराया गया ,जिसे इस कार्यालय के पत्रांकः-1404/पं0, दिनांकः- 03.09.2016 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था ।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 6649 दिनांक 21.09.2016 एंव 6695, दिनांकः-26.09.2016 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन ,2017- गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2011 की जनसंख्या को विहित प्रपत्र-6 को प्रकाशित कर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नई जनसंख्या के ऑकड़े के संबंध में आपत्तियाँ प्राप्त करने का निदेश प्राप्त है।

आयोग से प्राप्त कार्यक्रम निम्नवत् है:-

(क) वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को प्रपत्र-6 में प्रारूप की अवधि	03.10.2016 से 17.10.2016 तक
(ख) आपत्ति प्राप्ति की अवधि	04.10.2016 से 17.10.2016 तक
(ग) आपत्ति निराकरण की अवधि	04.10.2016 से 20.10.2016 तक
(घ) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रपत्र-6 में अंतिम प्रकाशन की तिथि/ जिला गजट का प्रकाशन	24.10.2016
(ड) अंतिम प्रकाशन के पश्चात् आयोग को प्रपत्र-6 उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि	28.10.2016

उक्त पत्र के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को प्रपत्र-6 में प्रकाशित अवधि में आपत्तियों निष्पादन करने हेतु अधोलिखित कंडिका-3 में वर्णित नगरपालिकाओं के लिए क्रमांकः-02 में वर्णित पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है । जो निम्न प्रकार है :-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम/पदनाम	नगरपालिका का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	5
1.	श्री रामेश्वर पाण्डेय , उप विकास आयुक्त,मुंगेर ।	नगर निगम,मुंगेर	
2.	डॉ कुन्दन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर।	नगर परिषद्,जमालपुर ।	
3.	मो0 वसीम अहमद, अनुमण्डल पदाधिकारी, खडगपुर	नगर पंचायत, हवेली खडगपुर ।	

1. प्राधिकृत पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नई जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में आपत्तियाँ हेतु अपने कार्यालय में पदस्थापित सुयोग्य कर्मी की प्रतिनियुक्ति अपने स्तर से करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें ।
2. आपत्तियाँ किस जगह प्राप्त की जायेगी। जगह को चिन्हित करते हुए आम सूचना अपने स्तर से संबंधित क्षेत्रों में प्रकाशित करेंगे।
3. साथ ही आपत्तिकर्त्ता को पावती रसीद दें। आपत्तियाँ सिर्फ जनसंख्या के संबंध में ही प्राप्त की जायेगी। प्राप्त आपत्तियों पर जॉच एवं सम्यक् रूप से विचार करने के बाद प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित जॉच अभिलेख में कारण देते हुए आदेश पारित करेंगे। जो अंतिम होगा।
4. आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् प्रपत्र-6 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार नई जनसंख्या के ऑकड़ों का नियमानुकूल अंतिम प्रकाशन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।
5. प्रकाशित अवधि में ही आपत्ति प्राप्त करें। बाद में आपत्ति करने पर विचार नहीं किया जाएगा।